

चुनाव के संरक्षक निकाय को मज़बूत करना

यह एडिटरियल 28/11/2022 को 'इकोनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित "Is Election Commission becoming a victim of judiciary-government crossfire over appointments?" लेख पर आधारित है। इसमें भारत नरिवाचन आयोग और उससे संबद्ध मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

भारत नरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) एक स्वायत्त और स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत के संघ और राज्यों में स्वतंत्र एवं नष्पिक्क चुनाव आयोजित कराने के लिये उत्तरदायी है।

संवैधान भारत नरिवाचन आयोग को **संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय** के नरिवाचन के नरिदेशन, अधीक्षण और नरियंत्रण की शक्ति सौंपता है। ECI राज्यों में शहरी नकियाँ (जैसे नगर पालिकाओं) और पंचायतों के चुनावों से संबद्ध नहीं है। ECI नकित अतीत में भारत में **चुनावों के संरक्षक नकियाय** के रूप में अपनी स्वतंत्रता और वशिवसनीयता को लेकर, वशिव रूप से मुख्य नरिवाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) की नयुक्त के संबंध में, कई ववादों से प्रभावित रहा है जसि पर वशिव ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत नरिवाचन आयोग का संघटन:

- मूल रूप से आयोग में केवल एक नरिवाचन आयुक्त होता था लेकिन '**नरिवाचन आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989**' के बाद इसे एक बहु-सदस्यीय नकियाय बना दिया गया।
- आयोग में एक **मुख्य नरिवाचन आयुक्त और दो नरिवाचन आयुक्त** होते हैं।
 - मुख्य नरिवाचन आयुक्त और नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
 - इनका कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष** की आयु तक (जो भी पहले हो) का होता है।
 - उन्हें भारत के **सर्वोच्च न्यायालय** के न्यायाधीशों के समकक्ष वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं।

नरिवाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़मिमेदारियाँ:

- नरिवाचन के संबंध में आयोग के कार्यों और शक्तियों को तीन श्रेणियों (**प्रशासनिक, सलाहकारी एवं अर्द्ध-न्यायिक**) में वभिजित किया गया है। इन शक्तियों में शामिल हैं:
 - देश भर में नरिवाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का नरिधारण करना।
 - मतदाता सूची तैयार करना और इन्हें समय-समय पर संशोधित करना तथा सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना।
 - नरिवाचन के कार्यक्रमों एवं तथियों को अधिसूचित करना और नामांकन पत्रों की जाँच करना।
 - वभिन्न **राजनीतिक दलों** को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें नरिवाचन चहिन आवंटित करना।
 - आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों के नरिवाचति सदस्यों की अयोग्यता के मामले में सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
 - आवश्यकतानुसार किसी नरिवाचन क्षेत्र में उप-चुनाव (Bye-Elections) आयोजित कराने के लिये भी वह ज़मिमेदार है।
 - यह चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये **आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC)** लागू करता है ताकि कोई भी अनुचित व्यवहार में लपित न हो या सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग न हो।

नरिवाचन आयोग से संबद्ध हाल के मुद्दे:

- **CEC का संक्षिप्त कार्यकाल:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में टपिणी की किवर्ष **2004 से किसी भी मुख्य नरिवाचन आयुक्त ने छह साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है** और इस संक्षिप्त कार्यकाल के कारण CEC कोई वशिव भूमिका नभाने में असमर्थ रहा है।
 - **संवैधान में वसित्तुत प्रावधान का अभाव:** संवैधान का **अनुच्छेद 324** नरिवाचन आयुक्त की नयुक्तिका प्रावधान तो करता है, लेकिन इस संबंध में वह केवल इस आशय के एक कानून के अधिनियमन की परकिल्पना करता है और इन नयुक्तियों के लिये कोई प्रक्रिया नरिधारित नहीं करता है।
- **नयुक्त पर कार्यपालिका का प्रभाव:** नरिवाचन आयुक्तों की नयुक्ति वर्तमान सरकार द्वारा की जाती है और इसलिये वे संभावित रूप से सरकार के प्रतिकृतज होते हैं या उन्हें ऐसा लग सकता कि उन्हें सरकार के प्रतिकृत वशिवित्तुत की नष्ठा का प्रदर्शन करना है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने टिपिणी की है कि यदि एक नरिवाचन आयुक्त कुशल, सक्षम, पूर्ण ईमानदार और उत्कृष्ट सेवा रिकॉर्ड से लैस हो सकता है, लेकिन उसका एक व्यक्तिगत राजनीतिक झुकाव भी हो सकता है, जो संस्था की तटस्थता से समझौते की स्थिति बन सकती है।
- इसके साथ ही, संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले नरिवाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नयिकर्ता से संबद्ध किये जाने को अवरुद्ध नहीं किया है, इसलिये वे सरकार से अच्छे संबंध बनाए रखने को प्रवृत्त हो सकते हैं।
- **वर्तित के लिये केंद्र पर नरिभरता:** ECI को एक स्वतंत्र निकाय बनाने के लिये अभिकल्पित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद अभी भी इसके वर्तित का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। नरिवाचन आयोग का व्यय **भारत की संचित नधि** पर भारित नहीं रखा गया है।
- **स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी:** चूंकि ECI के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते, इसलिये जब भी चुनाव आयोजित होते हैं तो उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर नरिभर रहना पड़ता है।
 - इस परदृश्य में प्रशासनिक कर्मचारी सामान्य प्रशासन के साथ-साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़िम्मेदार होते हैं, जो आयोग की नषिपक्षता और प्रभावशीलता के लिये अनुकूल स्थिति नहीं है।
- **आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये सांविधिक समर्थन का अभाव:** आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के लिये और नरिवाचन संबंधी अन्य नरिण्यों के संबंध में भारत नरिवाचन आयोग के पास उपलब्ध शक्तियों के दायरे एवं प्रकृतिके बारे में स्पष्टता नहीं है।
- **आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र को वनियमिति करने की सीमिति शक्ति:** राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनावों के संबंध में ECI की शक्ति एवं भूमिका सलाह देने तक सीमिति है और उसके पास राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र को लागू करने या उनके वर्तित को वनियमिति करने का कोई अधिकार नहीं है।

आगे की राह:

- **नरिवाचन आयुक्तों की नयिकर्ता की पुनरकल्पना:** न्यायमूर्ति **तारकुंडे समिति (1975)**, **दनिश गोस्वामी समिति (1990)**, **वधि आयोग (2015)** जैसी विभिन्न समितियों ने अनुशंसा की है कि नरिवाचन आयुक्तों की नयिकर्ता एक समिति की सलाह पर की जानी चाहिये जिसमें **प्रधानमंत्री, लोकसभा में वषिकष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश** शामिल हों।
 - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** ने अनुशंसा की थी ऐसे कॉलेजियम में केंद्रीय वधिमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति को भी शामिल किया जाना चाहिये।
 - **अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2015) मामले** में भी ECI के लिये एक कॉलेजियम प्रणाली की आवश्यकता जताई गई थी।
- **आयुक्तों की समकक्षता:** कार्यालय से नषिकासन के मामलों में ECI के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। नरिवाचन आयुक्तों की पुनरनयिकर्ता पर अंकुश हो और एक समरपति नरिवाचन प्रबंधन संवर्ग और कारमिक प्रणाली का नरिमाण किया जाना चाहिये।
- **आदर्श आचार संहिता का समर्थन:** ECI द्वारा प्रवर्तित आदर्श आचार संहिता के लिये सांविधिक समर्थन प्रदान करना आवश्यक है, वषिष रूप से जब सोशल मीडिया के चुनाव-संबंधी राजनीतिकरण की बात आती है।
- **चुनाव सुधार पर वधि आयोग की 255वीं रषिपोर्ट:** रषिपोर्ट में अनुशंसा की गई है कि लोकसभा/राज्यसभा सचवालय की तरह भारत नरिवाचन आयोग के लिये भी एक स्वतंत्र और स्थायी सचवालय प्रदान करने के लिये **अनुच्छेद 324** में संशोधन किया जाना चाहिये।
 - इसके अलावा, राज्य नरिवाचन आयोगों के लिये भी समान प्रावधान करने चाहिये ताकि चुनावों में उनकी स्वायत्तता और नषिपक्षता की भी गारंटी सुनषिचति हो सके।

अभ्यास प्रश्न: भारत नरिवाचन आयोग (ECI) भारत में चुनावी लोकतंत्र का आधार है, लेकिन हाल में इसकी संस्थागत वषिवसनीयता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। टिपिणी कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

????????

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2017)

1. भारत का चुनाव आयोग पाँच सदस्यीय नकाय है।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिये चुनाव कार्यक्रम तय करता है।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वषिजन/वलय से संबंधित वविदों का समाधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (d)

????

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/strengthening-guardian-body-of-elections>

